संख्या–732 / 26–ब0प्र0–2011–4(154) / 2005 टी0सी0–1

प्रेषक,

बी0 बी0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण

लखनऊ, दिनांक 12 अक्टूबर, 2011

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान सं0–81 के आयोजनागत पक्ष में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय सोनहा लखीमपुर खीरी के संचालन हेतु स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–43 / ज0जा0वि0 / ए0मा0आ0वि0 / 2011–12 दिनॉक 19 अप्रैल, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के पत्र संख्या– 14020 / 4(24) / 2011–एस.जी.–1 दिनांक 23.06.2011 द्वारा धनराशि अवमुक्त की गयी है, के कम में वित्तीय वर्ष 2011–12 में केन्द्र पुरोनिधानित एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय, सोनहा, लखीमपुर खीरी के संचालन हेतु रू0 50.95 लाख (रू0 पचास लाख पंचानबे हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति शैक्षिक एवं आर्थिक विकास समिति के नाम लखनऊ में राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुले खाते में जमा की जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षों में उक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृति की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0 / बैंक / डिपाजिट खाते में जमा नहीं है।

(3) व्यय की गयी धनराशि का लाभ पात्र अनुसूचित जनजाति के छात्र / छात्राओं को ही दिया जायेगा।

2– उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण– आयोजनागत –796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–01–केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0104–संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण के लिये विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु अनुदान–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

.....2

Pr GO

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या– ई–3– 1760 /दस–2011, दिनॉक 03अक्टूबर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।
संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(बी0 बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या– 732 (1)/26–ब0प्र0–2011 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2– महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद
3– सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट,कैसरबाग, लखनऊ।
5– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3
6– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2
7– निदेशक एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
8– गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(शशि कमल गोस्वामी)
अनु सचिव

Pr GO

शासनादेश संख्या 732/26-अ0प0-2011-4(154)/2005 टी0सी0-1, दि0 12 अक्टूबर, 2011 का संलग्नक।

एकलब्य माडल आवासीय विद्यालय सोनहा, खीरी को वर्ष 2011–12 में शेष आठ माह में व्यय हेतु प्रस्तावित धनराशि का विवरण

क्रम सं0	कार्यक्रम का नाम	प्रस्तावित धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	3
1	वेतन	23.49
2	कार्यालय व्यय तथा अन्य व्यय	1.65
3	भोजन व्यवस्था पर व्यय	19.80
4	पाठ्य पुस्तकें (दर रू0–450/–प्रति छात्र प्रति वर्ष)	0.00
5	यूनीफार्म (गर्मी +शीतकालीन) पर व्यय (सूती वस्त्र रू0'850/– प्रति वर्ष तथा ऊनी वस्त्र रू0–1500/– प्रति छात्र प्रति तीन वर्ष)	1.85
6	दैनिक प्रयोगार्थ सामग्री (दर रू0–350/–प्रति छात्र प्रति वर्ष)	0.29
7	अन्य विविध व्यय (स्टेशनरी,यात्रा,दवाए तथा सी0बी0एस0सी0 फीस) (दर रू0–550/–प्रति छात्र प्रति वर्ष)	0.17
8	प्रयोगशाला हेतु उपकरण (कम्प्यूटर)	1.00
9	विस्तर की व्यवस्था	1.35
10	वर्तनों की व्यवस्था	0.35
11	जनरेटर की व्यवस्था डीजल क्रय	0.50
12	बिजली उपकरण एवं बिजली बिलों के भुगतान पर व्यय	0.50
	योग :–	50.95

रूपया– पचास लाख पन्चान्बे हजार मात्र

(शशिकमल गोस्वामी)
अनुसचिव।